न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 10/2016 **(223 आर.टी..एक्ट)**

उनवान

1. तीर्थसिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति सिख निवासी ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये ज़िला कलक्टर अलवर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

.... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री राकेश यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 27.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दि0 20.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 785 रकबा 4.02 है0 जिसके साबिक ख0 नं0 586 रकबा 15 बीघा 18 गिस्वा व हाल ख0 नं0 868 रकबा 2.81 है0 है जिसका साबिक ख0 नं0 646 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ में स्थित है । उक्त विवादित आराजी के साबिक ख0 नं0 586 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा एवं 646 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा पर वादी का कदमी से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी की किस्म कागजात माल में गै0मु0 पहाड़ दर्ज रेकार्ड है जबकि मौके पर कोई पहाड़ नहीं है अपित काश्त की चालू आराजी है जिस पर वादी अपने पिता के जीवनकाल से काबिज रहकर कश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादी सं0 2 से कई बार निवेदन किया कि कागजात माल में दुरूस्ती की जावें व वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें किन्तु

27/11/17

उन्होंने साफ इन्कार कर दिया व धमकी दी कि विवादित आराजी से बेदखल किया जावेगा व काश्त नहीं करने दिया जावेगा । इसलिए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब कर पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ललावण्डी में वादी का वाद दि0 20.6.2016 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 20.6.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी कागजात माल में गै0मु0 पहाड़ दर्ज है जबकि मौके पर कोई पहाड़ नहीं है बल्कि उक्त आराजी शुरू से ही चालू काश्त की आराजी है और अपीलांट अपने पिता के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसकी खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत की है । उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलांट विगत करीब 40 सालों से मुतवारिया कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांट ने विवादित आराजी को काबिल काश्त बनाने में भारी जिस्मानी मेहनत की है व लागत लगाई है व मौके पर काबिज है । इसलिए एडवर्श पजेशन के आधार पर विवादित आराजी में हकूक खातेदारी अपीलांट को हासिल हो चुके हैं । उक्त आराजी से रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है ।

बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 के पैरोकार सरकार द्वारा दि0 1.7.2015 को केवल इतना जवाब दिया कि ख0 नं0 785 व 868 गै0मु0 पहाड़ सिवायचक नाकाबिल काश्त कस्टोडियन दर्ज रेकार्ड है तथा पत्रावली को तनकी कायम हेतु नियत कर दिया है किन्तु इसी दौरान मुकदमे की पत्रावली को कैम्प कोर्ट में भेज दिया जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा ना ही अपीलांट से कोई सहमति ली गई जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली को पक्षकारों के बीच राजीनामा होना या आपसी सहमति से ही भिजवायी जाती है ।

उन्होंने आगे कहा कि कैम्प कोर्ट में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा कैम्प में ही पैरोकार सरकार से जो जवाब लिया उसी पर एक साईड में दि0 20.6.2016 को पुनः जवाब लिखवा लिया गया तथा उसी रोज अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया ।

उन्होंने बहस में यह भी कथन किया कि उक्त आलौच्य निर्णय जेरे अपील कतई मनमाना एवं विधि एवं प्रक्रिया के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है जबकि तहत न्यायालय को निर्णय से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए मैरिट पर निर्णय करना चाहिए था । उन्होंने आगे बताया कि दावा जब तनकी कायमी में नियत था तो तहत अदालत को तनकी कायम कर उनका पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था ।

27/11/17

उन्होनें आगे कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी को गै0मु0 पहाड़ सिवायचक कस्टोडियन गलत दर्ज किया हुआ है जबकि मौके पर कोई पहाड़ नहीं है बल्कि विवादित आराजी चालू काश्त की है । तहत न्यायालय को चाहिए कि मौके की मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली जाती । विवादित आरजी पर अपीलांट का जायज कब्जा है । अपीलांट का कब्जा अतिक्रमी का नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निर्णय करते समय सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार निर्णय नहीं दिया । इसलिए अपीलांट को एडवर्श पजेशन के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 785 व 868 गै0मु0 पहाड़ सिवायचक नाकाबिल काश्त कस्टोडियन की आराजी दर्ज रेकार्ड है । इसलिए सिवायचक आराजी पर अपीलांट को कोई खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपना विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.06.2016 का अवलोकन किया ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यही रहा है कि तहत न्यायालय ने उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और प्रकरण जब तनकी में नियत था तो अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु भी उन्हें कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई । उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का साक्ष्य व सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दावे व जवाब दावे के आधार पर दोनों पक्षों से राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य ली जाकर प्रकरण में तनकी कायम कर रेकार्ड अनुसार प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु तहत न्यायालय ने तकनीकी कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया है । इसलिए तहत न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करते हुए प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का आदेश दिनांक 20.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

27/11/17

कि दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, सी.पी.सी. के प्रावधानुसार विवेचन करते हुए पुनः उचित निर्णय पारित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर